

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)

पत्रांक- 3941 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, जून, 14 2021  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
भीरजापुर क्षेत्र  
भीरजापुर ।

**विषय:-** जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017 के संबंध में

**संदर्भ:-** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2641/11- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 20.04.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी व प्रयोक्ता अभिकरण को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 20.04.2021 में अंकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2641/11- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 20.04.2021 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची में व्यास वर्ग गलत अंकित किया गया है । अतः ऑनलाईन भाग-2 के अनुसार सही व्यास वर्ग अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें एवं ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 14000 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसे ऑन लाईन भाग-2 के निर्धारित प्रारूप में संशोधित अपलोड कराते हुए पूर्व की सूची को Additional Information Detail से डिलिट करा दिया गया है । वृक्षों की संशोधित सूची वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-15 पर संलग्न करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष 01 हे० का ही मॉडल प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो कि अपूर्ण है । अतः 61 हे०	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 10 वर्षीय मॉडल प्राक्कलन 10 हे० का संलग्न किया

	अवनत वन भूमि का पूर्ण प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में अपलोड करें ।	गया है । संलग्न प्राक्कलन में 10 हे0 पर व्यय होने वाली वांछित धनराशि रू0 13,51,700/- तथा 01 हे0 पर व्यय होने वाली वांछित धनराशि रू0 1,35,170/- एवं प्रस्ताव में प्रस्तावित 61 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि रू0 82,45,370/- अंकित किया गया है जिसे ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है ।
3	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(v) में अपलोड नहीं है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न उपयुक्तता प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है ।
4	वन अधिकार अधिनियम- 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु उस पर जिलाधिकारी की मुहर नहीं लगी है अतः जिलाधिकारी की मुहरयुक्त प्रमाण-पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर मुहर लगवाते हुए मुहरयुक्त प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या -28 पर संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है ।
5	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में अपलोड किये गये Act-1980 Certificate एवं DSS Analysis Certificate में मुख्य वन संरक्षक के हस्ताक्षर नहीं है अतः इसे डिलीट कर हस्ताक्षरयुक्त ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में पूर्व का DSS Analysis Certificate को Additional Information Detail से डिलीट कराते हुए संशोधित DSS Analysis Certificate ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है । ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की तीन प्रति ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 बीना परियोजना, बीना-सोनभद्र को उनके पत्र संख्या-बीना/उ0प्र0 वन/एफ0सी0/2021/36 दिनांक- 29.05.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप अपने नामित प्रतिनिधि को उच्च स्तर पर भेजकर प्रस्ताव के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट